**कार्यालयः जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तरकाशी।**

आदेश सं0: बेसिक–04(विज्ञप्ति)/69 /मू0प्र0प0सत्या0/2026–27 दिनांक05मई, 2026

**विज्ञप्ति/मूल प्रमाण पत्र सत्यापन**

इस कार्यालय द्वारा प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या/प्रा0शि0/426/स0अ0(वि0शि0)/2025–26 दिनांक 20–12–2025 द्वारा जनपद उत्तरकाशी के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक (विशेष शिक्षा) (वेतनमान 35400–112400, लेवल–06) के पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति प्रकाशित की गयी थी।

उक्त विज्ञप्ति के सापेक्ष पात्र/अपात्र अभ्यर्थियों की सूची एवं निर्देश बिन्दु विभागीय वैबसाईट www.schooleducation.uk.gov.in पर अपलोड किये जा रहे है। समस्त पात्र अभ्यर्थी दिनांक 15 मई, 2026 को प्रातः 10:00 बजे अपने समस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन हेतु समस्त मूल अभिलेखों सहित राजकीय आदर्श कीर्ति इण्टर कॉलेज उत्तरकाशी के सुमन सभागार, उत्तरकाशी में उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे, मूल प्रमाण पत्रों के सत्यापन हेतु अनुपस्थित अभ्यर्थियों के चयन हेतु कोई विचार नहीं किया जायेगा अध्यापक चयन समिति के समक्ष प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु अनुपस्थित अभ्यर्थियों की नियुक्ति हेतु भविष्य में कोई दावा मान्य नहीं होगा। उक्त प्रकाशित सूची अन्तिम पात्रता सूची नहीं समझी जायेगी तथा प्रमाण पत्र सत्यापन की तिथि को अध्यापक चयन समिति के समक्ष उपस्थित अभ्यर्थियों के मूल अभिलेख सत्यापन करने के उपरान्त ही चयन समिति द्वारा रिक्त पदों की सीमा के अन्तर्गत प्रवीणता सूची के आधार पर अन्तिम चयन किया जायेगा। अतः प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु प्रतिभाग करने मात्र से नियुक्ति प्राप्त किये जाने का दावा मान्य नहीं होगा।

जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0)
जनपद– उत्तरकाशी।

**कार्यालयः जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तरकाशी।**

पत्रांकः बेसिक–04(विज्ञप्ति)/961–63/मू0प्र0प0सत्या0/2026–27 दिनांक उक्तांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून।
2. एम0आई0एस0 प्रभारी, महानिदेशालय, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त सूची एवं निर्देश विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
3. सम्पादक, दैनिक समाचार पत्र, अमर उजाला/दैनिक जागरण/हिन्दुस्तान (उत्तराखण्ड संस्करण) को इस आशय से प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को अपने दैनिक लोकप्रिय समाचार पत्र में न्यूनतम शासकीय दरों (DAVP)पर विज्ञापित करने का कष्ट करेंगे तथा भुगतान हेतु बिल दो प्रतियों में कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) उत्तरकाशी को प्राप्त करायेंगे।

जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0)
जनपद– उत्तरकाशी।

Scanned with OKEN Scanner

# कार्यालय – जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0, उत्तरकाशी।

## सहायक अध्यापक (विशेष शिक्षा) प्राथमिक विद्यालय के पद पर चयन हेतु अभिलेख सत्यापन के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा निर्देश

सहायक अध्यापक (विशेष शिक्षा) प्राथमिक विद्यालय के रिक्त पदों को भरे जाने हेतु जनपदान्तर्गत निर्गत विज्ञप्ति के सापेक्ष तैयार की गयी पात्रता सूची विभागीय वेबसाईट schooleducation.uk.gov.in में प्रकाशित कर मूल प्रमाण पत्रों का सत्यापन दिनांक 15 मई, 2026 को किया जाना निर्धारित किया गया है। सम्बन्धित अभ्यर्थियों को मूल प्रमाण पत्र सत्यापन की कार्यवाही में निम्नांकित निर्देशों का अनुपालन करते हुए अभिलेख उपलब्ध कराये जाने आवश्यक होंगे :–

A. समस्त शैक्षिक प्रशिक्षण अंक पत्रों/प्रमाण पत्रों की मूल प्रति लाना अनिवार्य होगा। सभी अभ्यर्थी अपने मूल दस्तावेजों के साथ एक प्लास्टिक फोल्डर साथ लेकर आयेंगे।

B. अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अंक पत्र/प्रमाण पत्र की मूल प्रति।

C. स्थायी निवास/मूल निवास प्रमाण–पत्र की मूल प्रति।

D. भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा निर्गत आर0सी0आई0 पंजीकरण प्रमाण पत्र वैध रूप से पंजीकृत (सी0आर0आर0 नम्बर) अर्थात् प्रमाण पत्र अद्यतन/नवीनीकृत होना अनिवार्य है।

E. दिव्यांगता से आच्छादित होने वाले अभ्यर्थियों द्वारा स्थायी दिव्यांगता प्रमाण पत्र की मूल प्रति।

F. आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) धारक अभ्यर्थियों द्वारा शासनादेशानुसार नवीनतम प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

G. शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–164 दिनांक 28.06.2019 द्वारा प्रख्यापित "उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह "ग" के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती के लिए अनिवार्य/वांछनीय अर्हता (संशोधन) नियमावली, 2019 के प्राविधान से आच्छादित है तो सम्बन्धित अभिलेख की मूल प्रति।

H. उत्तराखण्ड राज्य से बाहर अन्य राज्य से सम्बन्धित अभ्यर्थी, जिनका विवाह उत्तराखण्ड राज्य में हुआ हो, के द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में विवाह होने से सम्बन्धित विवाह प्रमाण–पत्र का शपथपत्र। (शासनादेश संख्या–254/कार्मिक–2/2002 दिनांक 10–10–2002 के कम में उत्तराखण्ड राज्य के अतिरिक्त अन्य किसी राज्य का कोई व्यक्ति उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवाओं में अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के लिए अनुमन्य आरक्षण का लाभ नहीं पा सकेगा। जिन महिला अभ्यर्थियों के जाति प्रमाण पत्र पति के आधार पर निर्गत किये गये हैं ऐसे अभ्यर्थी अपने पिता के आधार पर निर्गत स्वयं का जाति प्रमाण पत्र संलग्न कर साथ लायेंगे तद्उपरान्त ही सम्बन्धितों को उस वर्ग में आरक्षण का लाभ दिया जायेगा।

I. जिन अभ्यर्थियों के टी0ई0टी0 प्रमाण पत्रों को 07 वर्ष पूर्ण हो गये हों उनको नवीनीकृत यू0टी0ई0टी0/सी0टी0ई0टी0 प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

J. प्रमाण पत्र सत्यापन की तिथि को वांछित अभिलेख उपलब्ध न कराने वाले अभ्यर्थियों के चयन पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

K. उक्त मेरिट सूची में यदि किसी अभ्यर्थी से कम गुणांक वाले अभ्यर्थी का चयन समान श्रेणी में हो रहा हो, तो ऐसे अभ्यर्थी पुष्ठ साक्ष्यों सहित समिति के सम्मुख प्रस्तुत हो सकते हैं।

L. प्रमाण पत्र सत्यापन के दौरान यदि किसी अभ्यर्थी के शैक्षणिक, प्रशिक्षण अथवा अन्य प्रमाण पत्रों की वैद्यानिक पुष्टि नही हो पाती है, तो उस स्थिति में समिति को अधिकार होगा कि वह सम्बन्धित अभ्यर्थी का अभ्यर्थन प्रमाण पत्र सत्यापन की तिथि को ही निरस्त कर सकेगी।

M. उत्तर प्रदेश अथवा अन्य राज्य से डी0एड0 प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र सत्यापन की तिथि को इस आशय का शपथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा कि "उत्तर प्रदेश/अन्य प्रदेश से डी0एड0 प्रशिक्षण में प्रवेश के समय सम्बन्धित प्रदेश के सामान्य निवास/स्थाई निवास/मूल निवास प्रमाण–पत्र की बाध्यता नहीं थी।

N. समस्त अभ्यर्थी काउंसलिंग के समय अपने शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अन्य समस्त प्रमाण–पत्र दो–दो प्रतियों में स्वप्रमाणित कर साथ लायेंगे।

O. पूर्व में स0अ0 राजकीय प्राथमिक विद्यालय में समान पद पर कार्यरत अध्यापक पात्र नहीं होंगे।

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0
उत्तरकाशी।

Scanned with OKEN Scanner